फिल्म का शीर्षक	श्रेणी
4. अंतहीन	बी
5. शहनाई	सी
6. उपहार	सी
7. आनन्द	सी
8. कोशिश	सी
9. बातों-बातों में	सी
10. उस पार	सी
11. आराधना	सी
12. वक्त	सी
13. चितचोर	सी
14. तपस्या	सी
15. गोपी	सी
16. ब्रह्मचारी	सी
17. कटी पतंग	सी
18. गमन	सी

क्रम संख्या 7 से 18 पर दी गई फिल्में रायल्टी भुगतान के प्रयोजन के लिए "सी" श्रेणी में रखी गई हैं क्योंकि ये फिल्में पहली श्रृंखला में पहले ही टेलीकास्ट की जा चुकी हैं।

उर्दू पत्रकार

4018. **श्री चतुरानन मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी पटना ने बिहार विधान मंडल की कार्यवाही की समीक्षा के लिए 1984 से जलाई, 1987 तक उर्दू के एक भी पत्रकार को नहीं बुलाया जबकि अंग्रेजी और हिन्दी के पत्रकारों को बुलाया जाता रहा है;

(ख) क्या सरकार उर्दू पत्रकारों को भी समीक्षा के लिए समय देने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन आरोपों की जांच करवाने का विचार रखती है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी पटना, बिहार विधान सभा की कार्रवाई की पुनरीक्षा हिन्दी में प्रस्तुत करता है। क्योंकि यह एक विशिष्ट कार्य है अतः इस प्रयोजन के लिए प्रतिष्ठित और कुशल पत्रकारों को स्क्रिप्ट लिखने के लिए बुक किया जाता है। विगत में अंग्रेजी और हिन्दी दैनिकों के साथ कार्य कर रहे उर्दू जानने वाले पत्रकारों को हिन्दी स्क्रिप्ट लिखने के लिए बुक किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Merger of Danapur Cantonment Ward Nos 1 to 4 with Danapur Municipality

4019. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Joint Secretary, Ministry of Defence, Government of India through his letter No. 18-A|I|Excision|I Danapur|C|L&C| 82—86 dated the 23rd April, 1986 had requested the Chief Secretary, Government of Bihar for earlier acceptance of the excision of Danapur Cantonment Ward Nos. 1 to 4 to be merged with adjoining Danapur Municipality;

(b) whether it is a fact that the Chief Secretary, Government of Bihar has already communicated the acceptance to take-over the Danapur Cantonment Ward Nos. 1 to 4 and to merge the same with Danapur Nizamat Municipality;

(c) if so, what are the details in this regard; and

(d) what are the reasons for delay in the matter of excision of Danapur Cantonment Ward Nos. 1 to 4 for their merger with Danapur Municipality?